तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
24/12/25	पत्रावली पेश है। T.I.R बीगोद से आदेश पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल फाईल किया जाता है। पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं है अतः पत्रावली फैसल शुदा होकर दाखिल दफ्तर हो।

...यालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

तारीख दायरा 30.05.2024 — तारीख फैसला 30.07.2024

.../2024

...सीन अधिकारी–नयन गौतम (आई.ए.एस.)

उनवान

1– मोहम्मद सद्दीक आत्मज मोहम्मद हुसैन जाति जुलाहा
2– फातमा पुत्री मोहम्मद हुसैन जाति जुलाहा
निवासीगण सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा राज0 (वादीगण)

बनाम

1– शोकत अली आत्मज मोहम्मद हुसैन
2– अब्दुल कयुम आत्मज मासुक अली
3– अब्दुल सईद आत्मज मासुक अली
4– शकील मोहम्मद आत्मज मासुक अली
5– खुर्शीद बेगम पुत्री मासुक अली
6– गुलशन पत्नी मासुक अली
जाति जुलाहा निवासीगण सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
7– राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0 (प्रतिवादीगण)

वादीगण की ओर से – श्री कौशल किशोर वैष्णव एडवोकेट
प्रतिवादीगण की ओर से – श्री दिनेश वेष्णव एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा खातेदारी, बंटवारा

निर्णय

वादीगण ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि

1– यह कि ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता नं0 605 नया 547 पुराना की खसरा नं0 1518 की रकबा 0.69 हेक्टर, खसरा नम्बर 1536 रकबा 0.56 हेक्टर, कुल 2 किता की 1.25 हेक्टर भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में स्थित चली आ रही है। नकल जमाबंदी संलग्न है।

2– यह कि विवादित आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता की पुश्तैनी आराजी है जिस पर मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगणों ने आपसी बंटवारा कर मोके पर हिस्सानुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण अपने हिस्से पर तथा प्रतिवादीगण अपने अपने हिस पर काबिज काश्त चले आ रहे है।

3– यह कि प्रतिवादीगण आपसी मिलिभगत से बिना विभाजन करवाये उक्त वर्णित ... का बेचान करने पर आमादा है जबकि वादीगण अपने हिस्से पर और प्रतिवादीगण अपने हिस्से पर अपने पिता के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है।

4– यह कि प्रतिवादीगण आए दिन वादीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करते रहते है और बिना विभाजन कराये उक्त आराजीयात का बेचान करने पर आमादा है।

फोटो प्रति प्रमाणित
सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

यह कि विवादित आराजी वादीगण व प्रतिवादीगणों की संयुक्त खातेदारी में दर्ज प्रतिवादीगण उक्त भूमि को खुर्द बुर्द, बैचान, अन्तरण करने पर आमादा है, जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नही है।

यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण से तहसील में चलकर मौके अनुसार बंटवारा करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण नाराज हो गये तथा भूमि को बैचान करने की धमकी दी।

7– यह कि वाद कारण दिनांक 18.04.2024 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से उक्त भूमि में मौके अनुसार बंटवारा कराने की कहनें तथा प्रतिवादीगण द्वारा इंकार करने पर उत्पन्न हुआ ।

8– यह कि वाद में राजस्थान राज्य लेण्ड होल्डर होने की वजह से आवश्यक पक्षकार है जिसको सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 का नोटिस देना आवश्यक है परन्तु वाद अरजेन्ट नेचर का होने के कारण वाद को व्यवहार विधिसंहिता की धारा 80(2) जा0दी0 के प्रार्थना पत्र के साथ अविलम्ब प्रस्तुत किया जा रहा है।

9– यह कि वाद अवधि मध्य व उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है जिसका श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

अतः वाद पेश कर प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय का आदेश व डिक्री पारित की जावे:–

(1) कि ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता नं0 605 नया 547 पुराना की खसरा नम्बर 1518 की रकबा 0.69 हेक्टर, खसरा नम्बर 1536 रकबा 0.56 हैक्टर, कुल 2 किता की 1.25 हेक्टर भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में स्थित उक्त आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौके व राजस्व रिकॉर्ड में विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक खाता व लगान कायम किया जावे।

(2) कि प्रतिवादी नं0 7 को आदेशित किया जावे कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट न्यायालय को भिजवावें।

(3) वाद व्यय तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो उचित हो वह भी वादीगण को प्रदान की जावे।

वादीगण की ओर से राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत किये जो संलग्न है:–

1– नकल जमाबन्दी ग्राम सुल्तानपुर खाता सं0 605 सम्वत 2071–2074

2– नकल फोटो प्रतियां आधार कार्ड

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिवादी 1 ता 6 की ओर से श्री दिनेश वैष्णव एडवोकेट द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से आपसी सहमति से राजीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। उभय पक्षकारान में राजीनामा होने से न्यायालय में तारीख पेशी पर उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। तथा आदेशिका पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने अपने अपने हस्ताक्षर किये गये। वादीगण की पहिचान वादी अधिवक्ता द्वारा करवायी गई तथा प्रतिवादीगण की पहिचान प्रतिवादीगण के अधिवक्ता से करवायी गई। बहस राजीनामा पर सुनी गयी। वादीगण–प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किये जाने का अनुरोध किया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड बहस वादी–प्रतिवादी अधिवक्ता एवं संलग्न अन्य दस्तावेजों एवं प्रस्तुत राजीनामा का गहन अध्ययन अवलोकन किया गया।

वादीगण–प्रतिवादीगण में आपसी सहमति से राजीनामा निम्न प्रकार प्रस्तुत किया:–

फोटो प्रति प्रमाणित

सहायक ...

दीगोद, जि...

यह कि उपरोक्त उनवान का एक वाद सम्मानीय न्यायालय में जेरकार है जिसमें आज तारीख पेशी नियत है।

राजीनामा

वादीगण एवं प्रतिवादीगण निम्न आधारों पर यह राजीनामा पेश किया गयाः–

कि उपरोक्त उनवान का एक वाद न्यायालय में जेरकार है जिसमें आज तारीख पेशी नियत है।

वादी क्रम 1 मोहम्मद सद्दीक के हिस्से में आयी भूमिः–

खसरा नम्बर 1518 की रकबा 0.69 हेक्टर में से 0.25.6 हे0 दिशा मध्यम

वादी क्रम 2 फातमा पुत्री मोहम्मद हुसैन के हिस्से में आयी भूमिः–

खसरा नम्बर 1518 की रकबा 0.69 हेक्टर में से 0.25.6 हे0 दिशा दक्षिण

प्रतिवादी क्रम 1 शोकत अली आत्मज मोहम्मद हुसैन के हिस्से में आयी भूमिः–

खसरा नम्बर 1518 की रकबा 0.69 हे0 में से 0.17 हे0 दिशा उत्तर

खसरा नम्बर 1536 की रकबा 0.69 हे0 मे से 0.8 हे0 दिशा उत्तर

प्रतिवादी क्रम 2 ता 6 के हिस्से में आयी भूमिः–

खसरा नम्बर 1536 की रकबा 0.56 हे0 मे से 0.48 हे0 दिशा दक्षिण

लिहाजा राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त राजीनामा तस्दीक किया जाकर ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा में स्थित हम पक्षकारान के सम्मिलित खाते में दर्ज रही उक्त वर्णित कुल कर्षि भूमि को राजस्व रिकार्ड में उक्त राजीनामा में वर्णित विभाजन मृताबिक पृथक पृथक खातेदार दर्ज किया जाकर लगान राज भी अलग अलग कायम किये जाने की अंतिम डिक्री पारित की जावे तथा इस राजीनामा प्रपत्र को अंतिम डिक्री का हिस्सा घोषित किया जावे।

प्रकरण में प्रस्तुत राजीनामा पर उपभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

उभय पक्ष की ओर से आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा प्रस्तुत किया है। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं उभय पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया गया। विवादित आराजी में उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वाद पत्र में विवादित आराजी का विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपरोक्तानुसार प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादीगण का वाद पत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए विभाजन अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है। तथा बरूए राजीनामा वाद डिक्री किया जाकर पालना हेतु प्रतिवादी न0 7 तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य राजीनामा अनुसार पारित निर्णत अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करते हुए पृथक पृथक खाते दर्ज की जावे। पारित निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
[illegible] दीगोद
दीगोद, जिला [illegible]

नोट : प्रार्थना पत्र [illegible] में लिपिकीय [illegible] 1518 की [illegible] प्रतिवादी क्र. 1 [illegible] 0.56 हे0 पढ़ा जावे।

[illegible] कलेक्टर
[illegible]

फोटो प्रति प्रमाणित
सहायक [illegible]
दीगोद, जिला [illegible]